A-6

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
130/प्रा.पत्र/2014	09.10.2014	30.08.2019

सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली, जिला बून्दी।

– प्रार्थी

बनाम

1. मोहन लाल आ. चतुर्भुज (मृतक) कायम मुकाम रमेश, ओम प्रकाश पुत्र सूरज, शर्मिला, मंजू पुत्रिया व भूरी बाई पत्नी जाति मीणा निवासी ग्राम गणेशगंज तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.)
2. राधा पुत्री कवर लाल जाति मीणा निवासी ग्राम गणेशगंज तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.)
3. राधेश्याम आ. कवर लाल जाति मीणा निवासी ग्राम गणेशगंज तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.)
4. सावित्री पत्नी कवर लाल जाति मीणा निवासी ग्राम गणेशगंज तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 आवंटन दिनांक 27.12.1975 निरस्त करने बाबत्।

उपस्थित :–

प्रार्थी की ओर से – पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण की ओर से – श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक।

–: निर्णय :–

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के पिता चतुर्भुज आ. किशना जाति मीणा निवासी गणेशगंज को कृषि प्रयोजनार्थ किये गये भूमि आवंटन खसरा नं. 239/736 रकबा 05 बीघा ग्राम गणेशगंज, तहसील हिण्डोली को निरस्त करवाने हेतु इस न्यायालय में पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण व अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली तलब की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क पेश किये कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का

कब्जा काश्त नहीं है। आवंटित भूमि पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा काश्त है। आवंटी ने आवंटन शर्तो की पालना नहीं की है। अतः अप्रार्थीगण के पिता को किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण अभिभाषक ने अपने प्रस्तुत जवाब को दोहराते हुये बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि प्रार्थी तहसीलदार ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्यवाही पेश की है जिसमें अंकित किया गया है कि आवंटी व उसके वारिसान का कब्जा काश्त नहीं है। पटवारी हल्का की मिथ्या झूठी रिपोर्ट का तहसीलदार द्वारा या अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन भी नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण के पूर्वज चतुर्भुज आ. किशना भूमिहीन कृषक अनुसूचित जनजाति का कृषक होने से उक्त विवादित भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी। अप्रार्थीगण के पूर्वजो के समय से ही उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा आवंटन शर्तो की पूर्ण पालना की गई है। आवंटन वर्ष 1975 का है। आवंटन हुये लगभग 43–44 वर्ष हो चुके है। आवंटन के 10 वर्ष पश्चात् स्वतः ही आवंटी खातेदार कृषक बन जाता है। 43–44 वर्ष बाद आवंटन खारिज की कार्यवाही पेश की गई है जो चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर आवंटन यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी के दादा चतुर्भुज आ. किशना जाति मीणा को दिनांक 27.12.1975 को ग्राम गणेशगंज तहसील हिण्डोली में भूमि खसरा नं. 630/731 रकबा 04 बीघा 12 बिस्वा खसरा नं. 239 रकबा 05 बीघा कुल रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन किया गया था। आवंटन के पश्चात् आवंटी को मौके पर कब्जा दिया जाकर पट्टा फीस जमा कर पट्टा जारी किया गया है। उसके पश्चात् आवंटी को गैर खातेदार दर्ज किया गया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि भूमि खसरा नं. 239/736 रकबा 05 बीघा पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है, अन्य व्यक्ति का कब्जा काश्त है तथा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। प्रार्थी तहसीलदार ने अन्य व्यक्ति का कब्जा काश्त बाबत् कोई राजस्व रेकार्ड व अन्य दस्तावेज पेश नहीं किये है जिससे अन्य व्यक्ति का कब्जा काश्त साबित होता हो। आवंटी को भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पूर्ण कोरम में किया जाकर दखल दिया जाकर पट्टा फीस जमा की जाकर पट्टा जारी कर गैरखातेदारी दी गई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार फैसल होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 30.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)